प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 20–21 अगस्त, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20–21 अगस्तर, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं यथा केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, राजस्व संग्रहण आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गयी। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

राज्य योजना :–

- राज्य योजना अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों मे पथ एवं पुलिया निर्माण, नाला निर्माण तथा नागरिक सुविधा अन्तर्गत स्वीकृत 20.00 लाख (बीस लाख) से अधिक की राशि की योजनाओं की समीक्षा की गयी।
- बिहार शरीफ में नाला निर्माण की वर्ष 2016–17 में स्वीकृत राशि 70.78 लाख है, के संबंध में बताया गया कि यह योजना डूडा के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अभी तक 23.025 लाख का व्यय हुआ है।
- सभी नगर निकायों एवं एम०आई०एस० को निदेश दिया गया कि डूडा की योजनाओं को अलग कर लिया जाय। नगर निकायों की बैठक में केवल नगर निकायों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की ही समीक्षा की जाएगी। डूडा की योजनाओं की समीक्षा डूडा की बैठक में होगी।
- एम०आई०एस० के प्रतिवेदन में कई योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2018–19 में दर्शाया गया है, जबकि 2018–19 में राज्य योजना अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी गई। एम०आई०एस० द्वारा बताया गया कि नगर निकायों द्वारा ही 2018–19 को प्रतिवेदन दिया गया है। निदेश दिया गया कि प्रपत्र के वित्तीय वर्ष के स्तम्भ में योजना की स्वीकृति का वित्तीय वर्ष अंकित किया जाना है।
- नाली–गली निश्चय योजना के संबंध में एक प्रपत्र शीघ्र भेजे जाने के संबंध में निदेश दिया गया कि 31 जुलाई, 2018 तक निर्मित नाली एवं गली के पश्चात् अवशेष नाली–गली निर्माण हेतु राशि का आंकलन कर लिया जाय। पंचम राज्य वित्त आयोग की प्राप्त राशि तथा प्राप्त होने वाली राशि का आंकलन कर अवशेष राशि निश्चय योजना से अधियाचना प्रपत्र में प्राप्त होने के उपरांत की जाय।

नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना :–

- पटना नगर निगम, खगौल नगर परिषद्, नौबतपुर नगर पंचायत, डेहरी डालमियां नगर परिषद्, बिक्रमगंज नगर परिषद्, शाहपुर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत, जहानाबाद नगर परिषद्, नवादा नगर परिषद्, रफीगंज नगर पंचायत, छपरा नगर निगम, बेतिया नगर परिषद्, महुआ नगर पंचायत, रोसड़ा नगर पंचायत, बरबीघा नगर परिषद् एवं कहलगाँव नगर पंचायत में लक्षित वार्डों की संख्या से वार्डों की संख्या, जहाँ निविदा निकाली जा चुकी है, में कमी है। इस संबंध में संबंधित निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया।

- सभी निकायों के अधिकारियों को स्वीकृत राशि से 3 गुणा तक की योजनाओं को लेने का निदेश दोहराया गया। साथ ही उनके द्वारा नाली–गली की योजनाओं को पूरा करने हेतु समेकित संभावित राशि को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।

- जहानाबाद नगर परिषद् में एक वार्ड संतृप्त होने के कारण लक्षित वार्डों की संख्या–32 होगी। इसी तरह नवादा नगर परिषद् एवं रफीगंज नगर पंचायत में क्रमशः 2 एवं 1 वार्ड पहले की संतृप्त है।

- नगर आयुक्त, नगर निगम मुजफ्फरपुर ने बताया कि 49 वार्डों में से 48 वार्डों में ही निविदा की कार्रवाई की गयी है और एक वार्ड पहले से ही संतृप्त है। बेतिया नगर परिषद् एवं रक्सौल नगर परिषद् में क्रमशः दो एवं पाँच वार्डों में योजनाएँ पहले से ली गयी हैं, अतएव सभी वार्डों में निविदा निकाली जा चुकी है।

- रोसड़ा नगर पंचायत में पुनर्निविदा आयोजित की गयी है। जोगबनी नगर पंचायत में 11 वार्ड में निविदा प्रक्रियाधीन है। कटिहार नगर निगम के शेष वार्डों में पुनर्निविदा की प्रक्रिया एकरारनामा के स्तर में है। वीरपुर नगर पंचायत में दो वार्ड पहले से ही संतृप्त हैं। बिक्रमगंज नगर परिषद् में बोर्ड की अनुपलब्धता के कारण निविदा का कार्य बाधित है।

हर घर नल जल निश्चय योजना :–

- हर घर नल–जल योजना की निकायवार समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिन नगर निकायों द्वारा शत–प्रतिशत वार्डों के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है, उन्हें स्पष्ट निदेश दिया गया कि अगले 15 दिनों में शत–प्रतिशत वार्डों के लिए निविदा आमंत्रित कर ली जाय तथा जिन नगर निकायों में निविदाएँ प्राप्त हो गयी है, उनका निष्पादन सक्षम प्राधिकार से करते हुए शीघ एकरारनामा की कार्रवाई कर कार्य प्रारंभ कराया जाय।

- नल–जल योजना में हाऊस कनेक्शन की धीमी प्रगति पर खेद व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि हाऊस कनेक्शन की प्रगति तेज की जाय ताकि निकायवार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

- मोकामा नगर परिषद की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि पी0एच0ई0डी0 द्वारा भी हाऊस कनेक्शन दिया गया है तथा पी0एच0ई0डी0 का ओभर हेड टैंक अधिष्ठापित है, परन्तु नगर परिषद द्वारा सभी 28 वार्डों के लिए वार्डवार बोरिंग का प्रावधान कर दिया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि बी0आर0जे0पी0 द्वारा अभियंताओं का दल गठित कर मोकामा में स्थल निरीक्षण हेतु भेजा जाय, जो वस्तुस्थिति का अध्ययन कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगें ताकि अनावश्यक रूप से बोरिंग का कार्य नहीं कराया जाय।

- फुलवारीशरीफ नगर परिषद के संबंध में पूर्व में भी बुडको को निदेश दिया गया था कि उक्त नगर परिषद में वार्डवार तथा road wise details उपलब्ध कराये ताकि फुलवारीशरीफ में शेष बचे घरों में हाऊस कनेक्शन दिया जा सके। बुडको द्वारा फुलवारीशरीफ नगर परिषद के लिए उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन में स्पष्ट विवरणी अंकित नहीं रहने के कारण रोष व्यक्त किया गया। बुडको के G.M Tech के द्वारा एक सप्ताह में detail प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। निदेश दिया गया है कि यदि वे एक सप्ताह के अंदर detail प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराते है तो यह समझा जायेगा कि बुडको कार्य करने में सक्षम नहीं है।

- बैठक में यह निदेश दिया गया कि नगर निकायों में नल–जल योजना से आच्छादित वार्डों की सूची संबंधित विभागीय नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि भ्रमण के दौरान उसकी जाँच की जा सके।

- बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि हर घर नल–जल योजना में लाभार्थियों को दिये जा रहे हाऊस कनेक्शन में bibcock पीतल का लगाया जाना है तथा अन्य किसी प्रकार के bibcock को मान्य नहीं किया जायेगा।
- बिहियाँ नगर पंचायत में भी पी0एच0ई0डी0 द्वारा कार्य किया जा रहा है। तद्नुसार कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पूर्ण वस्तुस्थिति से संबंधित एक ठोस प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ताकि बिहियाँ नगर पंचायत को पूर्णतः योजना से आच्छादित किया जा सके। इसी प्रकार शाहपुर नगर पंचायत में भी स्पष्ट प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया है।
- रोहतास जिला के नगर निकायों में नल–जल योजना की प्रगति अच्छी नहीं है। तद्नुसार निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, डुडा, रोहतास, सभी नगर निकायों से समन्वय स्थापित कर कार्य में प्रगति लाये। साथ ही नवपदस्थापित श्री दिलीप कुमार शर्मा के संबंध में भी अब तक योगदान नहीं करने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- मोतीपुर नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा योजनाओं के overlapping के संबंध में बताया गया। निदेश दिया गया कि इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- अधीक्षण अभियंता, बी0आर0जे0पी0 को निदेश दिया गया कि वे नगर निकायों से प्राप्त होने वाले प्राक्कलन/परिमाण विपत्र/निविदाओं का निष्पादन, प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत अवश्य कर दें तथा पत्र की प्रति मुख्यालय को भी उपलब्ध करायी जाय।
- मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना के संबंध में निदेश दिया गया कि वर्त्तमान में 11 OHT के जीर्णोद्धार आदि कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। तद्नुसार मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना के लिए डी0पी0आर0 से उक्त प्रावधानों एवं राशि को हटाते हुए इंटीग्रेटेड डी0पी0आर0 समर्पित किया जाय।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि दिसम्बर 2017 में कार्य आवंटन दिया गया है, परन्तु संवेदक द्वारा मात्र बोरिंग किया गया है एवं पाईप लाईन नहीं बिछाया जा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि यदि संवेदक शीघ्र कार्य प्रारम्भ नहीं करते है तो एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार नोटिस देते हुए विधिवत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

<u>SBM योजना</u> -

- पटना नगर निगम का city profile अभी तक प्राप्त नही होने पर खेद व्यक्त किया गया एवं सबसे खराब नगर निकाय के रूप में चिन्हित किया गया। इस संबंध में city profile शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु पटना नगर निगम को पत्र भेजकर अवगत कराने का निर्देश दिया गया।
- ODF की समीक्षा के दौरान प्रतिवेदित हुआ कि कुल 143 ULBs में से 55 नगर निकायों को QCI द्वारा ODF Certified किया गया है एवं 11 ULB को NON-ODF घोषित किया गया है। NON-ODF निकाय निम्न है–कटिहार नगर निगम, पूणियां नगर निगम, खगडीया नगर परिषद्, बिक्रमगंज नगर परिषद्, शेरघाटी नगर पंचायत, झांझा नगर पंचायत, नौबतपुर नगर पंचायत, महनार नगर पंचायत, अमरपुर नगर पंचायत, कांटी नगर पंचायत एवं सोनपुर नगर पंचायत। NON–ODF निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर ODF के सारे प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करते हुए QCI Team को Re-Visit के लिए विभाग को संसूचित करे।
- इस माह में कुल 48 निकायों द्वारा ODF के लिए City profile प्राप्त हुआ है। शेष बचे हुए निकायों को सात दिनों के अन्दर विभाग में जमा कराने का निर्देश दिया गया ।

- निर्देश दिया गया कि ऐसे निकाय यथा पटना, मसौढ़ी, मोकामा, झंझारपुर आदि जगहों पर जहॉ बोर्ड से ODF Certification के लिए सहमति नही बन पा रहा है, उन निकायों में विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी/PMU, नगर निकायों में जाकर, बोर्ड से समन्वय स्थापित कर, सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में City profile विभाग को उपलब्ध करायेंगे ताकि सितम्बर माह मे शत् प्रतिशत निकायों को ODF घोषित कराया जा सके।
- सभी निकायों को निर्देश दिया गया कि दिनांक 25.08.18 (शनिवार) को विशेष शिविर आयोजित कर शत् प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराना तथा प्रथम किस्त प्राप्त लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की राशि भी लाभार्थी को शिविर में उपलब्ध करायी जाय। सभी निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के सभी लक्ष्यों व्यक्तिगत/सामुदायिक/मोबाईल/सार्वजनिक शौचालयों का माह सितम्बर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

AMRUT योजना :-

पार्क निर्माण योजना :

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर को दिनांक–31.08.2018 तक पार्क निर्माण/विकास हेतु जिलाधिकारी/महाप्रबंधक, रेलवे से समन्वय स्थापित कर पार्क के स्थल का चयन कर DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण के तहत Boundary wall का कार्य चल रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि Non-schedule items के quotation हेतु प्रक्रिया की जा रही है।
- नगर निगम, बेगूसराय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद द्वारा पार्क निर्माण हेतु NOC नहीं दिया गया है। इन्हें निदेश दिया गया कि पार्क निर्माण के संबंध में 31.08.2018 तक निर्णय लेकर निश्चित रूप से विभाग को सूचित किया जाय ताकि इस संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जा सके।
- कनीय अभियंता, नगर निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु चौथी बार हुई निविदा में प्रथम बार एकल निविदाकार को तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इस योजना की पुनर्निविदा की गयी है। SAAP-II के अंतर्गत 3 पार्कों की भी निविदा की गयी है। उनके द्वारा बताया गया कि अमृत योजना अन्तर्गत पार्क की नई योजना विचाराधीन नहीं है।
- नगर आयुक्त, आरा नगर निगम द्वारा बताया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II में स्वीकृत पार्क योजना का कार्य प्रगति में है। इन्हें निदेश दिया गया कि वार्ड नं0–45 अन्तर्गत प्रताप पार्क के DPR का Review कराकर पुनः समर्पित किया जाय।
- नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ के द्वारा बताया गया कि SAAP-I अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का कार्य प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु site selection किए जाने की बात कही गई। M/s WAPCOS Ltd को पार्क का DPR तैयार करने हेतु पुनः निदेश दिया गया।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के Boundary wall का कार्य प्रगति में है। उनके द्वारा बताया गया कि एक और पार्क का DPR समर्पित किया गया है।

- नगर निगम, छपरा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा अन्य पार्क के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा, जमालपुर, दानापुर एवं डेहरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पार्क निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil Work प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II के अन्तर्गत 31.08.2018 तक T/S estimate समर्पित करने की बात कही गयी। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु DPR अविलम्ब समर्पित करने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् सिवान द्वारा SAAP-1 के अन्तर्गत पार्क निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। इनके द्वारा आवंटन की माँग की गयी। SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण नहीं होने की बात कही गई। SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु एक सप्ताह में DPR समर्पित करने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work पूर्ण हो चुका है। SAAP-I अन्तर्गत पार्क हेतु आवंटन की माँग की गई। SAAP-II एवं SAAP-III अन्तर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work प्रगति में है, SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु C/S का अनुमोदन मुख्यालय द्वारा कर दिया गया है। उन्हें अविलम्ब एकरारनामा कर कार्य शुरू कराने का निदेश दिया गया।
- नगर निगम, कटिहार के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा तीन बार आमंत्रित की गई, किन्तु सफल नहीं हो सका। उनके द्वारा बताया गया कि पुनः निविदा की कार्रवाई की जा रही है। पुनर्निविदा की कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश दिया गया।
- नगर निगम, पूर्णिया के उपस्थित प्रतिनिधि को पुनः निदेश दिया गया कि अमृत योजना के SAAP-I एवं SAAP-II अन्तर्गत समेकित पार्क निर्माण की निविदा एक सप्ताह के अन्दर आमंत्रित की जाय। SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण के DPR में आवश्यक संशोधन हेतु नगर निगम को निदेश दिया गया।
- कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, बेतिया द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil work 90% पूर्ण हो चुका है। इनके द्वारा आवंटन की माँग की गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि SAAP-II के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का NOC बेतिया राज द्वारा नहीं दिया गया है। उन्हें इस संबंध में 31.08.2018 तक निर्णय लेने का निदेश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारी द्वारा तीसरे पार्क हेतु स्थल नहीं उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी।
- नगर निगम, भागलपुर के प्रतिनिधि द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत बनने वाले लाजपत पार्क के संबंध में बताया गया कि पूर्व में आमंत्रित निविदा को रद्द किया जा चुका है एवं अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें SAAP-II अन्तर्गत भैरवा पार्क के DPR का Review कर समर्पित करने का निदेश दिया गया। SAAP-III अन्तर्गत पार्क हेतु भूमि के अनुपलब्धता की बात कही गयी।
- नगर निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क योजना का DPR अविलम्ब समर्पित किया जाय।
- नगर निगम, पटना के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II (समेकित) अन्तर्गत पार्क निर्माण कार्य में तेजी लाया जाय।

- नगर आयुक्त, नगर निगम, गया ने बताया कि SAAP-II अन्तर्गत पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि SAAP-III अन्तर्गत पार्क निर्माण का DPR 31.08.2018 तक समर्पित किया जाय।
- नगर पंचायत बोधगया के प्रतिनिधि को पुनः निदेश दिया गया कि SAAP-III अन्तर्गत AMRUT पार्क की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दिनांक–31.08.2018 तक प्राक्कलन समर्पित किया जाय। SAAP-II के अन्तर्गत अमृत पार्क का DPR भी दिनांक–31.08.2018 तक समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि सभी पार्क योजनाओं के Non-schedule items के कोटेशन हेतु प्रक्रिया अविलम्ब आरम्भ की जाय ताकि पार्क योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।
- नगर परिषद् औरंगाबाद एवं नगर परिषद सीवान को तुरंत BRJP को अमृत योजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं का आवंटन BRJP को Transfer करने का निदेश दिया गया।
- सभी नगर निकायों को सभी अमृत योजनाओं के अविलम्ब Geo-tagging करने का निदेश दिया गया।

AMRUT जलापूर्ति योजना :

- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 64.830 km के विरूद्ध अभी तक 53.401 km पाईप बिछाया गया है तथा कुल प्रावधानित गृह जल संयोजन 9898 के विरूद्ध 2934 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया कि बक्सर जलापूर्ति योजना, फेज–1 में प्रावधानित 57.563 km के विरुद्ध 27.018 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 4739 के विरूद्ध 1195 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज –1 में प्रावधानित 72.985 km के विरूद्ध अभी तक 55.383 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 16474 के विरूद्ध 1803 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि बगहा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 46.548 km के विरूद्ध अभी तक 30.857 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 8730 के विरूद्ध 1667 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 37.002 km के विरूद्ध अभी तक 14.400 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 15318 के विरूद्ध 330 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 56.909 km के विरूद्ध अभी तक 10.345 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 7428 के विरूद्ध 465 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि सिवान जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.738 KM के विरूद्ध अभी तक 44.927 KM पाइप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 10668 के विरूद्ध 3371 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.555 km के विरूद्ध अभी तक 39.148 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 3770 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है।

- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि सहरसा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 189.584 km के विरूद्ध अभी तक 16.401 km पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 28369 के विरूद्ध 1014 गृह जल संयोजन किया गया है।
- नगर निकायों द्वारा बताया गया कि पाईप लाईन बिछाने के क्रम में Restoration का कार्य नहीं कराया जा रहा है। निदेश दिया गया कि Restoration कार्य को अविलंब पूरा किया जाय ताकि किसी भी प्रकार की असुवधिा एवं दुर्घटना से बचा जा सके।
- यह भी निदेश दिया गया कि BRJP एवं ULB के पदाधिकारियों के बीच कार्यों के समन्वय हेतु नगर निकाय में नियमित साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित किया जाय।

<u>सबके लिए आवास (Housing For All)</u>–

- सभी परामर्शी संस्था को निदेश दिया गया कि वैसे नगर निकाय, जहाँ Demand Survey का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनका HFPoA एवं AIP हर हाल में दिनांक 15.09.18 तक विभाग को उपलब्ध करा दें। साथ ही वैसे निकाय, जहाँ Demand Survey का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं कराया गया है, उन नगर निकायों में हर हाल में दिनांक 30.09.18 तक सर्वे पूर्ण कराकर HFPoA एवं AIP विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि वैसे नगर निकाय, जहॉ काफी समय से HFPoA एवं AIP बोर्ड से पारित हेतु लंबित है, उन निकायों में जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक बुलाकर HFPoA एवं AIP पारित कराकर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- परामर्शी संस्था REPL को सहरसा नगर परिषद का डिमांड सर्वे का फॉर्म एक सप्ताह में नगर निकाय में जमा कराने का निदेश दिया गया।
- सभी परामर्शी संस्था को Demand Survey के तहत लिए गये आवेदन पत्र को संबंधित नगर निकाय में जमा करने का निदेश दिया गया।
- परामर्शी संस्था REPL के Senior Person के साथ Demand Survey के तहत किये जा रहे कार्यों का अलग से बैठक करके समीक्षा करने का निदेश दिया गया।
- परामर्शी संस्था द्वारा किये गये Demand Survey में BLC घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निकाय द्वारा स्वीकृत कराये गये आवासों के बीच काफी अंतर पाया गया है तथा इस माह में कोई भी प्रस्ताव विभाग द्वारा भारत सरकार को नहीं भेजा गया है। इस संबंध में पूर्व में भी पत्रांक–1613 दिनांक–10.07.18 के माध्यम से प्रस्ताव की मांग की गयी थी, लेकिन अधिकांश निकायों द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इस संबंध में नगर निकायों को निदेश दिया गया है कि दिनांक 12.09.18 तक लाभुकों का प्रस्ताव भेजा जाय। वैसे नगर निकाय, जिनमें पूर्व से स्वीकृत आवासीय इकाईयों में कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया, उन निकायों यथा–बखरी फेज–II एवं फेज–III, पूर्णिया फेज–II, शिवहर फेज–III, बेनीपुर फेज–III, अरेराज फेज–II, बिहारशरीफ फेज–II, मनिहारी फेज–II, गया फेज–II एवं फेज–III, पकड़ीदयाल फेज–II, गोगरी जमालपुर फेज–II एवं फेज–III, मोकामा फेज–III, बैरगनिया फेज–II, एवं फेज–III, किशनगंज फेज–II, वारिसलीगंज फेज–II, एवं फेज–III, बख्तियारपुर फेज–II, खुसरूपुर फेज–II, बनमनखी फेज–II, जनकपुर रोड फेज–II, मुरलीगंज फेज–II, एकमा फेज–II, बीहट फेज–II, रक्सौल फेज–II, विक्रमगंज फेज–I, एवं कटिहार फेज–I नगर निकायों को आवासीय इकाईयों में निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का निदेश दिया गया।

- वैसे नगर निकाय जहॉ पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में लाभुकों का PMAY MIS पोर्टल पर MIS Entry एवं DPR से संबंद्ध नहीं किया गया है, उन निकायों यथा–किशनगंज फेज–III, कटिहार फेज–II, काँटी फेज–II, परसा बाजार फेज–II, रिविलगंज फेज–II, सिमरी बख्तियारपुर फेज–II, किशनगंज फेज–II, कसबा फेज–II, गया फेज–II, पूर्णिया फेज–II, मोकामा फेज–III, अररिया फेज–III, रोसड़ा फेज–I, गोगरी जमालपुर फेज–III, बिहारशरीफ फेज–II, कटैया फेज–II, मोकामा फेज–II, नवगछिया फेज–II, पकड़ीदयाल फेज–II, वारसलीगंज फेज–II, पूर्णिया फेज–I, महुआ फेज–II, बखरी फेज–IV, नोखा फेज–II, अररिया फेज–II एवं हिसुआ फेज–IV नगर निकायों में लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल पर PMAY MIS पर शत–प्रतिशत MIS Entry एवं DPR (Annexure) से संबंद्ध नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा अब तक कोई भी राशि निर्गत नहीं की गयी है। इन सभी नगर निकायों को एक सप्ताह के अंदर सभी कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

NULM योजना :–

Shelter for Urban Homeless (SUH) घटक-

DAY-NULM योजनान्तर्गत Shelter for Urban Homeless (SUH) घटक के अधीन नगर निकायों द्वारा नवनिर्मित/निर्माणाधीन आश्रय स्थलों का संचालन/कार्य पूर्ण करने के संबंध में समीक्षा की गयी। कई नगर निकायों में आश्रय स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं कई जगहों पर आश्रय स्थल निर्माणाधीन है। नगर निकायों में आश्रय स्थलों का संचालन प्रारंभ करने एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराने की अंतिम तिथि संबंधित सभी नगर आयुक्तों एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारियों से पूछकर निम्नवत निर्धारित किया गया:–

- आरा नगर निगम द्वारा नवनिर्मित आश्रय स्थल पर सभी सामग्रियों/सुविधाओं की समुचित व्यवस्था कर ALO के माध्यम से संचालन प्रारंभ करने हेतु दिनांक–30.09.2018 तक का समय निर्धारित किया गया।
- बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, किशनगंज, पूर्णिया, शेखपुरा, जहानाबाद, बेतिया, नवादा एवं लखीसराय नगर निकायों द्वारा नवनिर्मित आश्रय स्थल पर सभी सामग्रियों/सुविधाओं की समुचित व्यवस्था कर ALO के माध्यम से संचालन प्रारंभ करने हेतु दिनांक–02.10.2018 तक का समय निर्धारित किया गया।
- अररिया, कटिहार, मधुबनी, जमुई एवं बांका नगर निकायों को आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य तथा अन्य सिविल कार्य पूर्ण कराकर प्रचालन व प्रबंधन प्रारंभ करने हेतु दिनांक–31.12.2018 तक का समय निर्धारित किया गया।
- नगर निगम मुजफफ्रपुर एवं भागलपुर को दिनांक 30.10.2018 तक आश्रय स्थल का सभी सिविल कार्य पूर्ण करने एवं संचालन प्रारंभ करने का निदेश दिया गया ।
- सहरसा नगर परिषद में बंद पड़े आश्रय स्थल निर्माण कार्य का पुनः प्रारंभ कराने हेतू निदेशित किया गया एवं दिनांक–31.12.2018 तक निर्माण कार्य संपन्न कराने का निदेश दिया गया।
- नगर निकाय समस्तीपुर एवं शिवहर को क्रमशः दिनांक–28.02.2018 एवं 31.03.2019 तक आश्रय स्थल का निर्माण कार्य संपन्न कर ALO के माध्यम से संचालन प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।
- पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, मोतिहारी एवं सिवान नगर निकायों को आश्रय स्थल के लिए भूमि चयन हेतु एक माह का समय निर्धारित किया गया। निर्धारित समयावधि में भूमि का चयन संभव नहीं होने की दशा में आवंटित राशि को विभाग को वापस करने का निदेश दिया गया।

- पटना नगर निगम क्षेत्रानतर्गत सभी रैन बसेरों का जिर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराकर यथाशीघ्र प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।
- सभी नगर निकायों को यह अवगत कराया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आश्रय स्थल योजना के अधीन राज्य स्तरीय आश्रय स्थल अनुश्रवण कमिटि गठित की गयी है। कमिटि के सदस्य क्षेत्र भ्रमण कर आश्रय स्थलों की प्रगति का अनुश्रवण करेंगे। नगर निकायों को निदेशित किया गया कि सभी नगर आयुक्त एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी भी समय–समय पर अपने नगर निकाय में संचालित आश्रय स्थलों का अनुश्रवण करेंगें एवं आश्रय स्थ्लों/रैन बसेरों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

SM&ID **घटक** –

- नगर निकाय स्तर पर DAY-NULM कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी Stake Holder के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर उसका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय तथा कैम्प के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का खाता खोलने एवं स्वयं सहायता समूह का क्रेडिट लिंकेज करने हेतु निदेश दिया गया।
- सभी नगर निकायों को एक सप्ताह के अन्दर CRPs एवं COs का चयन कर सूची विभाग को उपलब्ध कराया जाय तथा क्षेत्र स्तरीय संघ एवं नगर स्तरीय संघ का जल्द से जल्द गठन एवं पंजीकरण करने हेतु नगर निकायों को निदेश दिया गया।
- शून्य प्रगति हेतु बैरगनियॉ, बखरी, भभुआ, सिमरी बख्तियारपुर, दिघवारा, हवेली खड़कपुर, जनकपुररोड, जयनगर, झाझा, झंझारपुर, कहलगॉव, खड़कपुर, कोचस, कोईलवर, मैरवा, मखदुमपुर, मनेर, मरौढ़ा, मुरलीगंज, नरकटियागंज, नोखा, रिविलगंज, सोनपुर, एवं विक्रम नगर निकाय को दो माह के अन्दर स्वयं सहायता समूह के गठन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

Support to Urban Street Vendors (SUSV) **घटक**–

- पिछली बैठक में सभी नगर निकायों को अपने–अपने शहरों का City Street Vending Plan (CSVP) का प्रारूप तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु भागलपुर नगर निगम को छोड़कर किसी भी नगर निकाय द्वारा City Street Vending Plan (CSVP) का प्रारूप विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में सभी निकायों को City Street Vending Plan (CSVP) तैयार करने हेतु पुनः निदेशित किया गया।
- सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में आवश्यकतानुसार Vending Zone के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

SEP **घटक** –

- सूद अनुदान के लगभग 1200 खाते नगर निकाय स्तर पर Approval हेतु लम्बित है, जिसके निराकरण हेतु सभी नगर निकायों को निदेश दिया जाय।
- टास्क फोर्स की बैठक नियमित रुप से आयोजित करने और बैठक में बैंकर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।
- समीक्षा के क्रम में प्रतिवेदित हुआ कि मुद्रा ऋण का डाटा बैंकर्स द्वारा मासिक रूप से नगर निकायों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ताकि SEP की प्रगति में इन्हें शामिल किया जा सके। इस संबंध में बैंकों के आंचलिक प्रबंधक के साथ समन्वय करने का निदेश दिया गया।
- DAY-NULM घटक के तहत सभी भुगतान को RTGS/NEFT के माध्यम से सुनिश्चित करेंगें।

EST&P घटक –

- प्रशिक्षित लाभुको का मुल्यांकन एवं प्रमाणीकरण (Assessment & Certification) नगर निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

- वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक प्राप्त सहायक अनुदान मद के विरूद्ध एक करोड़ से अधिक लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वाले नगर निकायों यथा – आरा (648.09), बेगुसराय (789.82), भागलपुर (478.46), बिहारशरीफ (137.73), छपरा (858.59), मुंगेर (113.22), मुजफ्फरपुर (853.69), पटना (6327.13), बगहा (381.85), बांका (396.11), बेनीपुर (223.97), बेतिया (988.85), ढ़ाका (192.02), जमालपुर (110.39), मधेपुरा (556.50), सासाराम (688.39), सहरसा (559.74), सीतामढ़ी (101.81), सिवान (978.56), बखरी (290.50), बनमनखी (105.25), चकिया (165.01), दिघवारा (182.17), हवेली–खड़गपुर (558.52), झंझारपुर (324.75), मीरगंज (235.62), नवीनगर (175.30), नोखा (197.96), परसाबाजार (108.19), रिविलगंज (181.16), रोसड़ा (197.95), सिमरी–बख्तियारपुर (215.79), विक्रम (236.01) को निदेश दिया गया कि जिस मद की राशि का उपयोग नहीं किया है उसका उपयोग उसी मद मे कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र तुरंत विभाग में समर्पित किया जाय।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक प्राप्त सहायक अनुदान मद के विरूद्ध एक करोड़ से अधिक राशि का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वाले नगर निकायों यथा – मुंगेर (187.43), पटना (551.12), पूर्णिया (428.18), बेतिया (440.75), डेहरी डालमियानगर (2000.00), फारबिसगंज (285.25), हिलसा (850.23), जमालपुर (134.09), किशनगंज (968.06), मधेपुरा (362.94), मोकामा (175.60), बखरी (380.69), एकमाबाजार (114.15), झाझा (239.03), कसबा (222.73), खुशरूपुर (132.13), लालगंज (205.31), महुआ (111.52), मीरगंज (296.16), शिवहर (366.42), सिलाव (570.21), टेकारी (254.56), ठाकुरगंज (146.36) एवं वारसलीगंज (361.17) को व्ययोपरान्त उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र विभाग में जमा करने का निदेश दिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक एक करोड़ से अधिक लंबित अनिकासी राशि वाले नगर निकायों यथा – बेगुसराय (261.23), गया (132.47), सहरसा (194.50), सीवान (146.44) मढ़ौरा (458.79), पकड़ी दयाल (101.29), परसाबाजार (184.63), शेरघाटी (313.92) को निदेश दिया गया कि अनिकासी राशि का प्रमाण–पत्र संबंधित कोषागार से अविलम्ब प्राप्त कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग में समर्पित किया जाय।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक एक करोड़ से अधिक लंबित अनिकासी राशि वाले नगर निकायों यथा – जहानाबाद (1057.64), झाझा (306.28), मोतीपुर (897.76) एवं पीरो (240.52) को निदेश दिया गया कि अनिकासी राशि का प्रमाण–पत्र संबंधित कोषागार से अविलम्ब प्राप्त कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग में समर्पित किया जाय।
- वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2017–18 तक चार से अधिक लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन वाले नगर निकायों यथा – पटना (07), बेगुसराय (04), भागलपुर (04), छपरा (04), मसौढ़ी (04), औरंगाबाद (04), बक्सर (05), खगौल (06), बगहा (04), बेतिया (06), सीतामढ़ी (04), मधुबनी (06), जमुई (06), मोतिहारी (04), सासाराम (04), झाझा (4), हवेली खड़गपुर (4), ढ़ाका (04), दिघवारा (4), मोतीपुर (5), रफीगंज (4) एवं कोईलवर (4) को निदेश दिया गया कि शीघ्रताशीघ्र उसका अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले०प०), बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

- नगर निकाय पीरो (4) बरबीघा (04), मुरलीगंज (3) एवं मधुबनी (06) में अंकेक्षण प्रतिवेदन लंबित है, उनके कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा दो सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का आश्वासन दिया गया है।

- लंबित ए०सी० राशि वाले नगर निकायों यथा–बेगुसराय (27.86 लाख), भागलपुर (51.00 लाख), आरा (18.00 लाख), मुंगेर (18.36 लाख), जमालपुर (14.69 लाख), अररिया (2.50 लाख), औरंगाबाद (12.49 लाख), बेतिया (135.17 लाख), सुलतानगंज (18.00 लाख), बक्सर (30.31 लाख), डुमरांव (4,100 हजार), गोपालगंज (23.01 लाख), जमुई (4.61 लाख), नवादा (13.20 लाख), सहरसा (129.37 लाख), शेखपुरा (9.57 लाख), सीतामढ़ी (1.33 लाख), सुपौल (1.33 लाख), हाजीपुर (4.19 लाख), रफीगंज (12.46 लाख), नवीनगर (10.90 लाख), चनपटिया (17.65 लाख), नरकटियागंज (18.06 लाख), कहलगांव (17.68 लाख), बोधगया (25.39 लाख) शेरघाटी (19.36 लाख), बरौली (13.33 लाख), झाझा (9.19 लाख), झंझारपुर (11.76 लाख), घोघरडीहा (9.56 लाख), गोगरी जमालपुर (342.03 लाख), बड़हिया (1.76 लाख), साहेबगंज (8.00 लाख), फतुहा (9.57 लाख), रामनगर (16.58 लाख), सिमरी बख्तियारपुर (5.51 लाख), दिधवारा (74,400 हजार), कोआथ (63,600 हजार), शिवहर (69,000 हजार) एवं महनार (83,400 हजार) से अब तक समायोजन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए संबंधित नगर निकायों को निदेश दिया गया कि उसका डी०सी० विपत्र महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को भेजते हुए समायोजन पत्र विभाग को अविलम्ब समर्पित किया जाय।

- वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के आंतरिक अंकेक्षण का अनुपालन नगर निकायों से कराने निमित एक प्रपत्र सभी नगर निकायों को प्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

<u>निकायों का वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट प्राक्कलन</u> :–

निकायों के वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राक्कलन की समीक्षा की गयी। सभी स्थानीय निकायों को 15 फरवरी 2018 तक बजट प्राक्कलन (बोर्ड से पारित करा कर) विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, परन्तु विभागीय निदेश के बावजूद भी कुछ निकायों से अभी तक बजट प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही कुछ निकायों द्वारा बजट प्राक्कलन की आपत्तियों का निराकरण करते हुए विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्हें एक सप्ताह के अन्दर बजट प्राक्कलन सभी औपचारिकताओं को पूरा कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

<u>होल्डिंग टैक्स</u> –

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्व वसूली की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ ही निकायों द्वारा प्रथम चार माह में संतोषजनक वसूली की गयी है। अधिकांश निकायों की होल्डिंग टैक्स वसूली संतोषजनक नहीं है। कुछ निकायों यथा–बिक्रमगंज, बरबीघा, चनपटिया, खुसरूपुर, सिमरी–बख्तियारपुर, रामनगर, सिलाव, नवीनगर, पीरो, परसा बाजार, शाहपुर, केसरिया, महुआ, कोआथ, नोखा, विक्रम एवं कसबा की राजस्व प्राप्ति असंतोषजनक है। इसके अतिरिक्त नये परिसम्पत्तियों पर भी होल्डिंग टैक्स प्राप्ति की कार्रवाई का निदेश दिया गया।

- नगर परिषद नरकटियांगज, नगर पंचायत, बारसोई, गोगरडीहा का लक्ष्य एवं वसूली शून्य दर्षाया गया है। उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेष दिया गया।

- सरकारी अर्द्ध–सरकारी एवं PSU भवनों पर होल्डिंग टैक्स/सेवाकर के बकाये के संबंध में विभाग द्वारा प्रेषित प्रपत्र में गत वित्तीय वर्ष एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के बकाये के संबंध में 05 सितम्बर तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देष दिया गया ताकि संबंधित विभाग को बकाया होल्डिंग टैक्स की सूची उपलब्ध करते हुए संबंधित निकायों को भुगतान करने का निदेश दिया जा सके।

- होल्डिंग टैक्स वसूली हेतु अधिनियम में पर्याप्त अधिकार निकाय को प्राप्त है। इसके आलोक में defaulter पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

Revenue (other Sources) -

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में Mobile Tower, Trade licence, Shop Rent Advertisment, Bus stand, other sairats, Mutation fee, Birth and Death Registration fee, Building permission fee, Any other sources से संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्व वसूली की समीक्षा की गयी। उन्हें अद्यतन Total of Holding, लक्ष्य, वसूली प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देष दिया गया ताकि अन्य स्रोत से राजस्व प्राप्ति की जानकारी हो सके।
- Mobile Tower मद से आरा (0.00), भागलपुर (0.00), कटिहार (0.00), मुंगेर (1.30 लाख) द्वारा काफी कम वसूली की गयी है, उन्हें Mobile Tower को चिन्हित करते हुए Total Demand एवं Collection से संबंधित प्रतिवेदन भेजने का निदेष दिया गया। मोबाईल टॉवर से शत–प्रतिषत राजस्व वसूली सुनिष्चित करने का निर्देष सभी स्थानीय निकायों को दिया गया, सिर्फ जिन मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में मामले लम्बित हैं, उन्हें छोड़कर।
- Trade licence fee मात्र 40% स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जा रहा है एवं कई निकायों का Trade licence fee शून्य दर्षाया गया है, उन्हें निर्देष दिया गया कि Trade को चिन्हित कर वसूली सुनिष्चित किया जाय। साथ ही अगले माह अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय।
- Mutation fee वसूली के संबंध में निदेश दिया कि निबंधन विभाग के रजिस्ट्री ऑफिस से ऑकड़ा प्राप्त कर तदनुरूप Mutation किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/8/2018

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–4725 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 31/8/18

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/MIS Cell/SPMG Cell/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/2018

प्रधान सचिव